UPKN010054932022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर–नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2105/2022

उज्जवल उर्फ ईशान पुत्र श्री चंद्रशेखर आयु 24 वर्ष निवासी 36 बदलीपुरवा, थाना छावनी, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर–नगर।

.....अभियोजन

मु0अ0सं0–31/2022
धारा–376, 313, 504, 506 भा0द0सं0
थाना–छावनी, कानपुर–नगर।

30.06.2022

प्रस्तुत जमानत का प्रार्थनापत्र अभियुक्त उज्जवल उर्फ ईशान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–31/2022, धारा–376, 313, 504, 506 भा0द0सं0, थाना–छावनी, जिला–कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 28.05.2022 को थाना छावनी, कानपुर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि पीड़िता व उसके पति प्रान्जुल मिश्रा के मध्य धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय कक्ष सं0–3 से विवाह विच्छेद हो गया किन्तु इसी दौरान इस अन्य व्यक्ति उज्जवल उर्फ ईशान पीड़िता से सहानुभूति करने लगा और पीड़िता को उपरोक्त वाद में प्रत्येक तिथि में न्यायालय लाता था तथा घर पर छोड़ देता था और धीरे–धीरे पीड़िता से प्रेम करने का नाटक करने लगा और पीड़िता भी उसके नाटक को समझ न पायी और उससे प्रेम करने लगी इसी दौरान उज्जवल उर्फ ईशान, पीड़िता को अपने घर पर दिनांक 14.02.2021 वैलेन्टिन डे वाले दिन ले गया और अपने घर वालों से पीड़िता के सामने ही बोला कि वह केवल पीड़िता से ही प्यार करता है और उससे ही विवाह करेगा। ईशान की इस बात को सुनकर उज्जवल उर्फ ईशान के घर वालों ने कहा कि उज्जवल उर्फ ईशान की बहन शालू के विवाह के बाद पीड़िता व ईशान का विवाह करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उज्जवल उर्फ ईशान, पीड़िता के साथ ऐसे व्यवहार करने की कोशिश करने लगा जैसे उसका पीड़िता से विवाह सम्पन्न हो गया है तथा उज्जवल उर्फ ईशान के

माता–पिता भी पीड़िता को अपनी बहू के रूप में व्यवहार करने लगे। इस प्रकार फरवरी माह 2021 को ईशान, पीड़िता को होटल गेस्ट हाउस मरी कंपनी पुल के नीचे ले गया तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर लिये और उसे बिना बताये उसका वीडियों भी बना लिया तथा फिर उसी वीडियों को दिखाकर बार–बार पीड़िता को उसी होटल में ले जाता रहा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गयी जिसका पता पीड़िता को तब चला जब उसे पेट में दर्द होने के कारण डा0 पी0 अशरफ द्वारा अल्ट्रासाउण्ड करवाने के लिए कहा गया जिसकी रिपोर्ट से दिनांक 11.05.2021 को ज्ञात हुआ कि पीड़िता 05 सप्ताह से प्रेग्नेन्ट है जिससे परेशान होकर पीड़िता ने इस बात की जानकारी ईशसान के माता–पिता को दी तो उन्होनें कहा कोई बात नहीं शादी तो होनी ही है और उन लोगो ने षड़यंत्र के तहत पेट दर्द को ठीक करने की दवा दे दी और पीड़िता का गर्भपात करा दिया। इसके बाद पीड़िता को ईशान व उसके घर वालो ने बहला–फुसलाकर राजी करा लिया और पीड़िता ने अपने विवाह विच्छेद के उपरान्त जब ईशान उर्फ उज्जवल से अपने विवाह के संबंध में बातचीत की तो वह टालने लगा किन्तु जब पीड़िता दिनांक 15.03.2022 को उज्जवल उर्फ ईशान के घर जाकर उज्जवल व उसके माता–पिता से अपने विवाह के संबंध में बात की तो उन्होनें पीड़िता को गलियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी और अपने घर से भगा दिया जब से पीड़िता हैरान, परेशान व भयभीत है।

वादिनी/पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–31/2022, धारा–376, 313, 504, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्ज कर मामले में विवेचना की गयी। पुलिस द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पीड़िता को धारा–164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित कराया। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी, थाने की रिपोर्ट एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का पीड़िता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। कथित घटना के समय पीड़िता स्वीकृत रूप से एक विवाहिता थी और तब तक उसका अपने पति से कोई वैवाहिक विच्छेद नहीं हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मिथ्या करते हुए अपने जन्म का वर्ष 1998 अंकित कराया जबकि प्रान्जुल मिश्रा के साथ हुए विवाह के प्रमाणपत्र में उसके द्वारा

जन्म वर्ष 1984 अंकित कराया गया है तथा पीड़िता द्वारा अपने आधार कार्ड में जन्म का वर्ष 1991 और निर्वाचन कार्ड में 1992 अंकित कराया गया है। घटना के समय पीड़िता की आयु 31 वर्ष थी और वह एक मेच्योर शादीशुदा महिला थी। पीडिता पेशेवर रूप से अन्यान्य पुरूषों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अनुचित रूप से धन वसूलने का कार्य करती है। इसके पूर्व भी इसी प्रकार प्रकाश नामक व्यक्ति के विरूद्व इसी प्रकार के आरोपों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा प्रकाश को ब्लैकमेल करके उससे एक लाख रूपये वसूल करके समझौता कर लिया था। इसी प्रकार पीडिता ने प्रान्जुल मिश्रा को अपने जाल में फंसाकर विवाह किया और उसके विरूद्व मुकदमें लिखाकर कर समझौता करके लाखों रूपये वसूल किये हैं। माह मार्च 2022 में अभियुक्त की माता श्रीमती प्रतिमा द्वारा पीडिता के विरूद्व मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया जो अभी विचाराधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर, सलाह मशविरो करके विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व पीडिता के बयानों में विरोधाभास है। वादिनी/पीडिता द्वारा पूर्व में दिनांक 22.07.2020 को एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को दिया था जिसमें उसने अपने पति प्रान्जुल मिश्रा के विरूद्व आरोप लगाते हुए प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त उज्जवल उर्फ ईशान से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध न होने की बात कही थी। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः दौरान विचारण अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजनपक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब पीड़िता का उसके पति से पारिवारिक विवाद न्यायालय में चल रहा था तो अभियुक्त द्वारा पीड़िता से सहानुभूति दिखाते हुए पीडिता से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके लिए पीड़िता राजी हो गयी तो अभियुक्त ने पीड़िता को होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और पीड़िता का वीडियों बना लिया तथा उसी वीडियों को दिखाकर पीड़िता के साथ कई बार होटल में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी तो उन लोगो ने पीड़िता दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया और अभियुक्त द्वारा पीडिता से शादी करने से मना कर दिया गया तथा गालियॉ दी गयी व जान से मारने की धमकी देकर अपने घर से भगा दिया गया। पीड़िता द्वारा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि पीड़िता द्वारा धन की उगाही के लिए पूर्व में भी कई व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे धन वसूला गया है तथा पीड़िता 31 वर्ष की मेच्योर एवं विवाहित महिला है तथा अभियुक्त की उम्र 24 वर्ष है।

अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाये गये है तथा गर्भपात भी नहीं कराया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ काफी समय तक उसकी इच्छा के विरूद्व जबरदस्ती बलात्कार किया गया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी तो उसे दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया तथा शादी करने से मना कर दिया गया तथा पीड़िता को गालियॉ दी गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में कहा गया है कि '' उसका अपने पति प्रान्जुल मिश्रा से मुकदमा चल रहा था इसी दौरान उज्जवल उर्फ ईशान उससे सहानुभूति करने लगा और प्रेम करने का नाटक करने लगा और दिनांक 14.02.2021 को अपने घर ले गया तथा शादी करने की बात कही और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसा उसका पीड़िता से विवाह सम्पन्न हो गया है तथा फरवरी 2021 को ईशान, पीड़िता को होटल गेस्ट हाउस मरी कंपनी पुल के नीचे ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया और वीडियो बना लिया तथा उसी वीडियों को दिखाकर बार–बार उसी होटल में ले जाता रहा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी जिसका पता उसे तब चला उसने अल्ट्रासाउण्ड कराया, डाक्टर के पास ईशान साथ गया था। जब पीड़िता ने इस बात की जानकारी ईशान के माता–पिता को दी तो उन्होनें पेट दर्द ठीक करने की दवा दे दी और पीड़िता का गर्भपात करा दिया। जब पीडिता दिनांक 15.03.2022 को उज्जवल उर्फ ईशान के घर जाकर उसके माता–पिता से विवाह के संबंध में बात की तो उन्होनें गालियां दी और जान से मारने की धमकी देकर अपने घर से भगा दिया। ''

पीड़िता ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में कहा है कि '' वह उज्जवल के सम्पर्क में आयी और बातचीत होने लगी। उसका व उसके पति के संबंध में मुकदमा चल रहा था। उज्जवल ने बताया कि उसका पति उसे मरवाने की कोशिश कर रहा है इसलिए उसके साथ–साथ रहो। पीड़िता उसकी बातों में आ गयी और उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। उज्जवल ने शादी का आश्वासन देकर अपने परिवार से मिलाया और शादी की बातचीत हुयी। उज्जवल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाये और छिपकर पीड़िता की बिना अनुमति के अश्लील वीडियों बनाया तथा वीडियों के माध्यम से धमकी देकर पीड़िता के साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाये। अन्ततः उसने शादी करने से इन्कार कर दिया अब तो धमकी देता है कि अगर मुकदमा कराया तो वीडियो वायरल कर देगा और जान से मरवा देगा। शारीरिक संबंध बनाने में एक बार वह गर्भवती भी हो गयी, उज्जवल ने गलत तरीके से दवा देकर उसके दो महीने के बच्चे का गर्भपात करा दिया।''

पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता द्वारा चिकित्सक को बताया गया है कि '' उज्जवल उसके साथ कोचिंग में पढ़ता था। पिछले विवाह के तलाक के संबंध में वह उसके साथ कोर्ट में आता–जाता था। इस दौरान पीड़िता की उससे ज्यादा दोस्ती हो गयी। वह दिनांक 14.02.2021 को पीड़िता को अपने घर ले गया और शादी करने का वादा किया। कुछ दिन बाद पीड़िता के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाये व उसका वीडियों भी बना लिया। उसी वीडियों से ब्लैकमेल करके उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाये। प्रेग्नेन्ट होने पर मई में उसका गर्भपात भी करा दिया। आखिरी बार संबंध 29 अक्टूबर 2021 को बना था। तब से ईशान उर्फ उज्जवल ने उसके साथ बात करने से मना कर दिया। अब उसे जान से मारने की धमकी देता है तथा शादी से भी इन्कार कर रहा है।''

इस प्रकार पीड़िता के बयान एवं अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये गये तथा बाद में शादी करने से मना कर दिया गया। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

अभियुक्त द्वारा कथित रूप से कारित अपराध की प्रकृति गम्भीर है। मामले की समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त उज्जवल उर्फ ईशान की ओर से मु0अ0सं0–31/2022, धारा–376, 313, 504, 506 भा0द0सं0 थाना–छावनी, कानपुर–नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मयंक कुमार जैन)
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांक–30.06.2022
(मनोज)

Digitally signed by MAYANK KUMAR JAIN
Date: 2022.06.30 16:59:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court